न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 3/2020

दायरा दिनांकः– 24.01.2020

1. मु. परमजीत कौर पत्नी मुख्तयार सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 34 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. मु. सरजीत कौर पत्नी सुरेन्द्र पाल सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 34 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. जरनैल सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 34 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

.....अपीलान्टस्

बनाम

1. अजीत सिंह } पुत्र अनोप सिंह जाति राजपूत निवासी 3 एस.टी.बी. ढ़ाणी
2. गजु सिंह } तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. मु. सरोज कंवर पत्नी किशन सिंह जाति राजपूत निवासी 3 एस.टी.बी. ढ़ाणी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. अरूण सिंह } पुत्र/पुत्री किशन सिंह नाबालिगान जरिये कुदरती वली
5. सिमरन कवंर } माता मु. सरोज कंवर पत्नी किशन सिंह जाति राजपूत
6. वरूण सिंह }
7. मु. लिछमा देवी पत्नी जयकिशन जाति मोहता निवासी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

.....रेस्पोण्डेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अधिवक्ता अपीलान्टस्
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पोण्डेन्टस
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार श्रीविजयनग

– : : निर्णय : : –

दिनांकः– 20.11.2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस् द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसील श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 02.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टस् न. 1 परमजीतकौर के नाम चक 2 एस.टी.बी. के खाता संख्या 21 में पत्थर नम्बर 207/378 के किला नम्बर 6 ता 9, 16 ता 20 में 2.1080 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट न. 2 सरजीत कौर के नाम इसी चक व इसी पत्थर नम्बर के किला नम्बर 3 ता 6, 21 ता 25 में 2.109 हैक्टेयर व अपीलान्ट न. 3 जरनैल सिंह के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

नाम भी इसी चक के इसी पत्थर नम्बर के खाता संख्या 13 में किला नम्बर 1, 2, 6, 10 ता 15 में 2.108 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड हैं। अपीलान्टस् का यह भी कहना हैं कि प्रथम नपाई में बिना किसी मुस्तकिल पोईन्ट कायम किये हुए नपाई की गई जो मान्य नहीं होने पर उन्होनें दिनांक 01.03.2012 को एस.डी.ओ. साहब श्रीविजयनगर के प्रस्तुत किया इस पर दिनांक 19.04.2012 को पत्थर नम्बर 207/378 के किला नम्बर 1, 5, 21, 25 पर नियमानुसार पत्थर गढ़ी करने का आदेश दिया। इस पर तीन हल्को के पटवारी व गिरदावर को पत्थर गढ़ी करने हेतु नियुक्त किये गये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 14.06.2012 को एस.डी.ओ. साहब के पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया इस पर पुनः पटवारियों की टीम गठित कर पत्थर गढ़ी हेतु लिखा गया। अपीलान्ट द्वारा बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.08.2012 को पटवारियों की टीम नपाई करने गई तो वहां फसल खड़ी थी इसलिए नपाई नहीं हो सकी। अपीलान्टस् ने दिनांक 15.04.2013 को तहसीलदार को नपाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया इस पर उपतहसीलदार जैतसर की अध्यक्षता में टीम गठित की गई व नपाई कर पत्थर गढ़ी कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। इसके उपरान्त दिनांक 12.06.2013 को तहसीलदार श्रीविजयनगर ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2013 को रिव्यू करने का आदेश बिना किसी आधार के पारित कर दिया जो उचित नहीं था चूंकि इस आदेश में पूर्व नपाई आदेश दिनांक 04.06.2011 को सही मान लिया गया। तहसीलदार श्रीविजयनग के आदेश दिनांक 16.12.2015 के विरूद्ध पूर्व में ही एक अपील इसी अदालत अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ में प्रस्तुत की गई जो बाद सुनवाई आदेश दिनांक 12.06.2013 को निरस्त कर पत्थर नम्बर 207/378 की भूमि की नपाई राजस्व विभाग के नियमों के तहत करवाई जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावे। इस पर जी. पी.आर.एस से नपाई हेतु तहसीलदार ने 07.11.2017 को टीम गठित की गई इस पर दिनांक 18.12.2017 को पेमाईश की गई जो अपीलान्टस् को मान्य नहीं होने पर पुनः अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार को दिनांक 18.02.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नपाई भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा करवाने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार ने भू प्रबन्धक विभाग से नपाई करवाने की सिफारिस श्रीमान जिला कलक्टर को की गई जो उन्होनें पत्र क्रमांक 1075 दिनांक 11.03.2019 को नये सिरे से नपाई करवाने के लिए भू प्रबन्धक विभाग बीकानेर की स्वीकृति दे दी। इस पर भू प्रबन्धक विभाग ने पूरी टीम के साथ दिनांक 13 व 14–08–2019 को मौका पर पत्थर नम्बर 207/378 की पैमाईश की गई, इस नपाई से चिपते पत्थरों की भी नपाई की गई जिस पर मौजूदा पत्थरढ़ी व नई नपाई में अन्तर पाया गया।

अपीलान्टस् का कहना हैं कि उन्होनें दिनांक 19.08.2019 को नपाई अनुसार पत्थरगढ़ी करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीविजयनगर को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई जाने पर मौका पर भूमि के कब्जा काश्त का विवाद होने पर व पूर्व में दो बार नपाई व भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा की गई नपाई में अन्तर होना भी जाहिर करने की बात कही गई हैं। इस पर तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पत्थर गढ़ी न करवा कर जैरअपील आदेश दिनांक 02.09.2019 को पारित किया गया कि अपीलान्टस् के पास कब्जा नहीं है। पहले उचित न्यायालय से कब्जा प्राप्त करे व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पत्थरगढ़ी करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी का होने से उनको पत्थरगढ़ी हेतु सिफारिस की गई इसी आदेश दिनांक 02.09.

20/11/20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

(अपील संख्या : 3/2020)

2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह जैरअपील आदेश गैरकानूनी होने से निरस्त कर पत्थरगढी करने का आदेश पारित किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर मियाद के बिन्दू को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. 1 ता 7 की तरफ से उनके अभिभाषक व पैरोकार राज उपस्थित होने पर पत्रावली में बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस् ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में दर्ज बिन्दुओं को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि तीन चार बार नपाई हो चुकी हैं परन्तु तहसीलदार श्रीविजयनगर पत्थरगढी नहीं कर रहे है, वो पत्थरगढी करना नहीं चाहते हैं व टालमटोल करने की नीयत से पत्थरगढी न करके पत्थरगढी के लिए उपखण्ड अधिकारी को पत्र लिखा गया कि पत्थरगढी का क्षेत्राधिकार आपका होने से आगामी कार्यवाही आपके द्वारा की जानी हैं। उनका यह भी कहना हैं कि तहसीलदार का यह आदेश उचित नहीं होने से जैरअपील आदेश दिनांक 02.09.2019 निरस्त किया जाकर पत्थरगढी करने व कब्जा दिलाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. की बहस हैं कि जैरअपील आदेश अंतिम आदेश नहीं हैं। इसके विरूद्ध अपील की ही नहीं जा सकती चूंकि तहसीलदार श्रीविजयनगर ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111 के तहत पत्थरगढी करने का क्षेत्राधिकार व किसी पक्षकार को कब्जा से हटाकर भूमि का दूसरे पक्षकार को कब्जा दिलाने का अधिकार भी उपखण्ड अधिकारी को हैं जो पत्र तहसीलदार श्रीविजयनगर ने दिनांक 02.09.2019 को उपखण्ड अधिकारी को भेजा हैं वह अंतिम आदेश नहीं हैं व इसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी का प्रावधान हैं न कि अपील का, अपीलान्टस् स्वंय इस अदालत से अपील में पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहते हैं वही कार्यवाही जैरअपील पत्र में तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी से की हैं, इसलिए अपीलान्टस् की अपील स्वंय के कथनो से विरोधाभाषी हैं। विद्वान अभिभाषक रेस्पो. की यह भी बहस हैं कि अपीलान्टस् ने इसी भूमि बाबत इन्ही पक्षकारो के मध्य एक वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर की अदालत में पहले से कर रखा हैं जिसमें किसी एक पक्ष के हक में डिक्री जारी होगी। एक ही प्रकरण दो न्यायालयो में नहीं चल सकता अगर दोनो अदालतों से भिन्न भिन्न निर्णय पारित हो गये तो अदालत मातहतो में निर्णय की पालना में भारी अनियमतता व विभेद पैदा हो जायेगा। इसलिए भी रेस्पो. की यह अपील गैरकानूनी व नियमों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपील देरी से प्रस्तुत होने पर भी खारिज करने का निवेदन किया कि अपील करीब चार माह देरी से प्रस्तुत की गई है व देरी के एक एक दिन का विवरण दिया जाना चाहिए था इसलिए अपील मीयाद बाहर प्रस्तुत की गई हैं।

पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पत्र दिनांक 02.09.2019 विधिसम्मत लिखा गया हैं व पत्थरगढ़ी व कब्जा सम्बन्धित विवाद हेतु पक्षकारो के मध्य उपखण्ड अधिकारी के वाद पत्र चल रहा हैं इसलिए अपील अपीलान्टस् निरस्त किये जाने योग्य हैं।

उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण व पैरोकार राज की बहस सुनी गई व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व भू–प्रबन्ध अधिनियम का भी गहनता से अध्ययन व मनन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर

20/11/20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

(अपील संख्या : 3/2020)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत की गई व मियाद प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया गया कि अपील क्यों देरी से प्रस्तुत की। अपीलान्टस् स्वंय अपने प्रार्थना पत्र में लिख रहे हैं कि उसे दिनांक 22.10.2019 को ज्ञान हो गया था कि पत्थरगढ़ी के लिए तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 02.09.2019 को पत्थरगढी हेतु अनुशंषा की हैं फिर भी समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु विभिन्न उच्च अदालतों द्वारा अपने न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादि किया हैं कि जहां तक सम्भव हो अपील का निर्णय गुण व दोष के आधार किया जाना चाहिए। इसलिए मियाद प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का माफ करते हुए अपील समय अवधि में शुमार की जाती हैं।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हैं कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर, उपतहसीलदार जैतसर, उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर, श्रीमान जिला कलक्टर व भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा बार बार नपाई करवाने पर किसी भी नपाई पर विश्वास जाहिर नहीं किया हैं व किसी नपाई पर अपने आप को स्थिर नहीं कर रहे हैं। अपीलान्टस् स्वंय द्वारा भूमि की नपाई करवाकर दिनांक 04.06.2011 को पत्थर गढ़ी करवाई थी अगर अपीलान्टस् को पूर्व में की गई पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से कोई ऐतराज था तो उस आदेश के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए थी न कि बार बार पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। अपील में भी अपीलान्टस् ने पत्थरगढी किये जाने व भूमि का कब्जा दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा हैं। कब्जा बाबत अपीलान्टस् ने उचित अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा हैं जिसका निर्णय अभी होना हैं उसमें सम्पूर्ण साक्ष्य लिया जाकर निर्णय लिया जाना हैं व अपीलान्ट के द्वारा मांगे गये अनुतोष के आधार पर ही तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को पत्र लिखा गया था जो भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 3 के अनुकूल हैं व रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आर.आर.टी 2011 पार्ट प्रथम पेज 45 से भी इस तथ्य की पुष्टी माननीय उच्च न्यायालय ने की हैं कि पत्थरगढ़ी करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को ही हैं पत्थरगढी किये जाने का अधिकार हैं। इसलिए अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील में जिस पत्र दिनांक 02.09.2019 का आधार लिया गया हैं वह अन्तिम निर्णय नहीं हैं कि जिसके विरूद्ध अपील की जा सके व तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भी कोई नियमों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी प्रतीत नहीं होने से भी अपीलान्टस् की अपील नियमों के विरूद्ध आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः अपील अपीलान्टस् आधारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner